[2021] 6 एस. सी. आर. 562

रिपुदमन सिंह

वी.

टिक्का महेश्वर चंद

(2021 की सिविल अपील संख्या 2336)

06 जुलाई, 2021

[संजय किशन कौल और हेमंत गुप्ता, जे. जे.]

पंजीकरण अधिनियम, 1908: एस. 17 (2) (vi)-विवाद करने वाले पक्ष भाई हैं-वसीयत पर विवाद करने वाले कब्जे के लिए मुकदमा-समझौता डिक्री भाइयों के बीच-क्या भूमि के संबंध में एक समझौता डिक्री

जो वाद का विषय नहीं है, बल्कि भाइयों के बीच समझौते का हिस्सा है, जिसके लिए अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता होती है -

एस. 17 (2) (vi) पंजीकरण अधिनियम-आयोजितः मृतक-पिता के उत्तराधिकारी के रूप में, वादी-अपीलार्थी का मृतक द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में अधिकार था।

इसलिए, यह पहली बार बनाया गया कोई नया अधिकार नहीं था

- जब पक्षों ने दीवानी अदालत के समक्ष समझौता किया, बल्कि संपत्ति में एक पूर्व-मौजूदा अधिकार को अदालत की कार्यवाही में समझौते के माध्यम से मान्यता दी गई-निचली अदालत के समक्ष पक्षों के बीच समझौता किया गया जिसके परिणामस्वरूप डिक्री में भूमि शामिल थी जो मुकदमे का विषय नहीं थी-समझौता डिक्री हो सकती है

पारित किया गया भले ही समझौते का विषय, संतुष्टि का समझौता आदेश XXIII नियम 3 सी. पी. सी. के प्रावधानों के संदर्भ में मुकदमे के विषय के समान न हो-इसलिए,

भूमि के संबंध में पक्षों के बीच की गई समझौता डिक्री, जो मुकदमे का विषय नहीं थी, वैध है और इस प्रकार एक कानूनी समझौता है-जहां डिक्री के संबंध में डिक्री पारित की गई है -

परिवारिक सम्पत्ति, धारा 2 क उपखंड (vi)। 17 पंजीकरण अधिनियम लागू होगा-सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि पारिवारिक समझौता केवल उन अधिकारों की घोषणा करता है जो पहले से ही पक्षों के पास हैं-समझौता दोनों भाइयों के बीच उनके पिता की मृत्यु के परिणामस्वरूप हुआ था और पहली बार प्रेजेंटी में कोई अधिकार नहीं बनाया जा रहा था, इस प्रकार अनिवार्य होने की आवश्यकता नहीं थी।

पंजीकरण।

भूप सिंह बनाम। राम सिंह मेजर और अन्य (1995) 5

एससीसी 709: [1995] 3 पूरक। एस. सी. आर. 466-निर्भर।

काले और अन्य बनाम। समेकन के उप निदेशक

और अन्य (1976) 3 एस. सी. सी. 119: [1976] 3 एससीआर 202;

562 रिपुदमन सिंह बनाम। टिक्का महेश्वर चंद

रविंदर कौर ग्रेवाल और अन्य बनाम। मंजीत कौर और

अन्य (2020) 9 एस. सी. सी. 706; के. रघुनाथन और अन्य वी. अली हुसैन साबिर और अन्य (2008) 13 एससीसी

102 : [2008] 8 एस. सी. आर. 657; फूल पट्टी और एक अन्य बनाम। राम।

सिंह (मृत) एल. आर. के माध्यम से। और एक और (2009) 13 एससीसी

22 : [2009] 5 एस. सी. आर. 362; फूल पट्टी और एक अन्य v. राम।

सिंह (मृत) एल. आर. के माध्यम से। और एक और (2015) 3 एससीसी 465 संदर्भित किया गया है

मामला कानून संदर्भ

[1976] 3 एससीआर 202

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

(2020) 9 एस. सी. सी. 706

संदर्भित किया गया है

पैरा 11

[1995] 3 पूरक। एससीआर 466 पर भरोसा किया गया

पैरा 13

[2008] 8 एससीआर 657

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

[2009] 5 एससीआर 362

संदर्भित किया गया है

पैरा 15

(2015) 3 एस. सी. सी. 465

पैरा 15

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2336

21

उच्च न्यायालय के 28.10.2016 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2004 के आर. एस. ए. सं. 441 में शिमला में हिमाचल प्रदेश।

आर. बसंत, सीनियर एड. , शरण ठाकुर, महेश ठाकुर, सिद्धार्थ

कुर, विष्णु पी., सुश्री विपाशा सिंह, महेश ठाकुर, सुश्री अनुराधा अतकर, अपीलार्थी के वकील।

मोहित पॉल, विनोद शर्मा, सुनैना फुल, बी. के. सतीजा, अधिवक्ता। के लिए

प्रतिक्रियाशील।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

आदेश

छुट्टी दे दी गई।

1. वादी इस न्यायालय के समक्ष अपील में है जिसे चुनौती दी गई है

28.10.2006 पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश और डिक्री जिसके द्वारा

प्रतिवादी द्वारा दायर सभी को अनुमति दी गई और घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया गया

उत्परिवर्तन कार्यवाही में पारित आदेशों को खारिज कर दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. यहाँ दल स्वर्गीय विजेंद्र सिंह के दो बेटे हैं। अपीलार्थी ने वसीयत पर विवाद करते हुए वर्ष 1978 में कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया।

प्रतिवादी के पक्ष में निष्पादित दिनांक 04.12.1958। अपीलार्थी ने वाद में वर्णित भूमि के आधे हिस्से का दावा किया। मुकदमे के लंबित रहने के दौरान, पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर एक डिक्री पारित की गई थी। समझौते की शर्तें इस प्रकार हैं:

" वादी को प्रतिवादी द्वारा तातिमा एक्स. पी.-2 के अनुसार 8 कनाल 18 मरला मापने वाले खसरा सं. 513/1 क्षेत्र का कब्जा दिया जाएगा और वादी इसका अनन्य मालिक होगा और प्रतिवादी भौतिक कब्जे में बना रहेगा।

143 कनाल और 16 कनाल मापने वाले खसरा No.513/2 क्षेत्र का मालिक

मार्लास। वादी 27 कनाल 11 मरला मापने वाले खसरा नं. 516/1 क्षेत्र का मालिक होगा और प्रतिवादी भी वादी को भुगतान करेगा।

आज से एक महीने के भीतर Rs.10,000/- की राशि। वादी पटवार के धनेटा, नोन्गी, चोरू और सप्रोह में प्रतिवादी के स्वामित्व में दर्ज भूमि के संबंध में भी मालिक होगा।

घैर मुम्किन लैंड के संबंध में "।

3. इस प्रकार पारित डिक्री के अनुसरण में, वादी ने उसे निहित भूमि के एक तिहाई हिस्से के परिवर्तन की मांग की, जिसे नायब तहसीलदार द्वारा 10.02.1983 पर अनुमति दी गई थी। हालाँकि, उक्त उत्परिवर्तन के खिलाफ एक अपील का निपटारा नायब तहसीलदार को उत्परिवर्तन पर नए सिरे से निर्णय लेने के निर्देश के साथ किया गया था क्योंकि प्रत्यर्थी को सुनने का कोई अवसर दिए बिना उत्परिवर्तन को मंजूरी दी गई थी।

4. इसके बाद अपीलार्थी ने संभागीय के समक्ष अपील दायर की।

कमिश्नर। ऐसी अपील इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि पंजीकरण के अभाव में समझौता डिक्री पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के खिलाफ है। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

" अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि आदेश एल. डी. द्वारा पारित किया गया था। 1978 के दीवानी मुकदमा संख्या 45 में उप न्यायाधीश खसरा के कब्जे के वितरण से संबंधित एक समझौता आदेश है।

No.513/1 मापने वाले 8 कनाल 18 मार्लास और ख के मालिक।

No.516/1 माप 27 कनाल 11 मरला पटवारों में स्थित है

गैर मुम्किन लैंड के संबंध में धनेता, नोहांग, चोरू और सप्रोह। वर्तमान अपील अन्य भूमि के संबंध में है जो भारतीय

पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 (2) (vi) के तहत दीवानी अदालत में वाद का विषय समझौता डिक्री नहीं है जो रिपुदमन सिंह बनाम से संबंधित है।

टिक्का महेश्वर चंद

मुक़दमे की विषय वस्तु पंजीकरण से मुक्त रही।

समझौता आदेश जिसमें इससे परे के मामलों को शामिल किया गया था मुक़दमे के दायरे में, पंजीकरण की आवश्यकता होती है। इसलिए, विवादग्रस्त भूमि जो वाद या समझौता डिक्री के दायरे से बाहर है, के लिए पंजीकरण की आवश्यकता होती है। सहायक कलेक्टर, द्वितीय श्रेणी नादौन ने अपने दिनांकित 24.6.89 के आदेशों के अनुसार समझौता डिक्री के पंजीकरण के बिना उत्परिवर्तन को मंजूरी दी है जो प्रावधान के खिलाफ है।

अधिनियम आई. बी. आई. डी. और एल. डी. कलेक्टर ने उचित रूप से स्वीकार किया है प्रतिवादी टिक्का महेश्वर चंद की अपील। इसलिए, इन अपीलों को खारिज कर दिया जाता है और कलेक्टर का दिनांकित आदेश 13.2.91

बर्दाश्त किया जाता है "।

5. अपीलार्थी ने बाद में आयुक्त द्वारा पारित ऐसे आदेश को चुनौती देते हुए घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया। मुकदमा खारिज कर दिया गया था

20.11.2002 पर उप न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, हमीरपुर। लेकिन अपीलार्थी द्वारा की गई अपील को हमीरपुर के विद्वान जिला न्यायाधीश ने 19.08.2004 में स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील में चुनौती के अधीन था। उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया और मुकदमे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि भूमि भले ही विषय-वस्तु हो समझौता, वाद का विषय नहीं था और इसलिए डिक्री के लिए पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 (2) (vi) के तहत पंजीकरण की आवश्यकता थी।

6. वर्तमान अपील में एकमात्र सवाल यह है कि क्या भूमि के संबंध में एक समझौता डिक्री जो वाद का विषय नहीं है, लेकिन है

परिवार के सदस्यों के बीच समझौते के हिस्से के लिए अनिवार्य है पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 (2) (vi) के अनुसार पंजीकरण। उक्त अधिनियम की धारा 17 के उपखंड (2) के खंड (v) और खंड (vi) का सुसंगत प्रावधान इस प्रकार हैः

" 17 (2) उप-धारा (1) के खंड (बी) और (सी) में कुछ भी लागू नहीं होता है।

को

XXX

(v) उपखंड में निर्दिष्ट दस्तावेजों के अलावा कोई अन्य दस्तावेज। धारा (1क) स्वयं एक सौ के मूल्य के किसी अधिकार, स्वामित्व या ब्याज का सृजन, घोषणा, समनुदेशन, सीमित या समाप्त नहीं करती है।

रुपये और अचल संपत्ति में या उससे ऊपर, लेकिन केवल

एक अन्य दस्तावेज़ प्राप्त करने का अधिकार बनाना, जो कब

ऐसे किसी भी अधिकार को निष्पादित करना, बनाना, घोषित करना, सीमित करना या समाप्त करना,

शीर्षक या ब्याज; [2021] 6 एस. सी. आर.

((vi) किसी न्यायालय की कोई डिक्री या आदेश [किसी डिक्री या आदेश को छोड़कर]

समझौता करने के लिए व्यक्त किया गया और इसमें अचल शामिल हैं

उस संपत्ति के अलावा जो वाद का विषय है या

आगे बढ़ना]; "

7. हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री

स्पष्ट रूप से गलत है और इसे कानून में कायम नहीं रखा जा सकता है। दल स्वर्गीय विजेंद्र सिंह के बेटे हैं। मृतक के उत्तराधिकारी के रूप में, अपीलार्थी का संपत्ति पर मृतक का अधिकार था। इसलिए, यह पहली बार बनाया गया एक नया अधिकार नहीं था जब पक्षों ने एक में प्रवेश किया दीवानी अदालत के समक्ष समझौता, बल्कि संपत्ति में पहले से मौजूद अधिकार को अदालत की कार्यवाही में समझौते के माध्यम से मान्यता दी गई थी।

8. हालांकि, गैर मुम्किन भूमि (गैर-कृषि योग्य भूमि) नहीं थी

वाद का विषय-वस्तु, लेकिन विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षों के बीच किए गए समझौते के परिणामस्वरूप 3.11.1981 पर डिक्री में ऐसी गैर-कृषि योग्य भूमि शामिल थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि समझौता डिक्री पारित की जा सकती है, भले ही समझौते का विषय, संतुष्टि का समझौता सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXIII नियम 3 के प्रावधानों के संदर्भ में मुकदमे के विषय के समान न हो। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश XXIII नियम 3 इस प्रकार हैः

" 3. सूट का समझौता। - जहाँ यह संतुष्टि के लिए साबित होता है

न्यायालय कि किसी वाद को किसी द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से समायोजित किया गया है

कानूनी समझौता या समझौता, लिखित रूप में और द्वारा हस्ताक्षरित

पक्षकार या जहाँ प्रतिवादी वादी को संतुष्ट करता है

सम्पूर्ण या विषय का कोई भाग-वाद का विषय, न्यायालय

ऐसे समझौते, समझौते या संतुष्टि का आदेश देगा

अभिलिखित, और उसके अनुसार अब तक एक डिक्री पारित करेगा

समझौता, समझौता या संतुष्टि का मामला समान है। मुक़दमे के विषय के रूप में:

XXX। "

XXX

9. इसलिए, समझौता डिक्री के बीच में प्रवेश किया

भूमि के संबंध में पक्षकार जो वाद का विषय नहीं था

वैध है और इस प्रकार एक कानूनी समझौता है। यह ध्यान देना प्रासंगिक होगा कि प्रतिवादी-प्रतिवादी ने किसी भी मंच के समक्ष किसी भी स्वीकार्य आधार पर इस तरह के समझौते पर विवाद नहीं किया है।

रिपुदमन सिंह बनाम। टिक्का महेश्वर चंद

10. यह सवाल सामने आया है कि परिवार के सदस्यों के बीच इस तरह के समझौते के लिए पंजीकरण की आवश्यकता होगी या नहीं।

काले एंड अदर्स पुटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन एंड अदर्स में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में इस अदालत के समक्ष उपहास, जो इस प्रकार हैः

" 9 ..... व्यवस्था का उद्देश्य परिवार की रक्षा करना है।

लंबे समय से चली आ रही मुकदमेबाजी या निरंतर संघर्षों से जो परिवार की एकता और एकजुटता को प्रभावित करते हैं और घृणा और रक्तपात पैदा करते हैं।

समाज का एकीकरण और इसलिए पूरे देश का एकीकरण, यह समय की प्रमुख आवश्यकता है। एक पारिवारिक व्यवस्था जिसके द्वारा संपत्ति को विभिन्न दावेदारों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है ताकि धन का समान वितरण प्राप्त किया जा सके।

इसे कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित करना निस्संदेह सामाजिक न्याय के प्रशासन में एक मील का पत्थर है। यही कारण है कि "परिवार" शब्द को व्यापक अर्थों में समझना होगा ताकि इसके दायरे में न केवल करीबी संबंधियों या कानूनी उत्तराधिकारियों को शामिल किया जा सके, बल्कि उन व्यक्तियों को भी शामिल किया जा सके जिनके पास किसी प्रकार का पूर्ववर्ती शीर्षक हो सकता है, एक दावे की झलक या भले ही उनके पास एक जासूस उत्तराधिकार हो, ताकि भविष्य के विवादों को हमेशा के लिए सील कर दिया जाए और परिवार अपने दावों से लड़ने के बजाय और इस तरह के निष्फल या व्यर्थ मुकदमेबाजी पर समय, धन और शक्ति बर्बाद करने के बजाय देश के व्यापक हित में अधिक रचनात्मक काम पर अपना ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो। इसलिए अदालतें तकनीकी या तुच्छ बातों पर परेशान करने के बजाय पारिवारिक व्यवस्था को बनाए रखने के पक्ष में हैं।

आधार। जहां अदालतों को पता चलता है कि पारिवारिक व्यवस्था एक कानूनी कमी या एक औपचारिक दोष से ग्रस्त है, तो रोक का नियम सेवा में लगाया जाता है और उस व्यक्ति की याचिका को बंद करने के लिए लागू किया जाता है जो पारिवारिक व्यवस्था में एक पक्ष होने के नाते एक तयशुदा व्यवस्था को अस्थिर करना चाहता है।

विवाद और पारिवारिक व्यवस्था को रद्द करने का दावा करता है जिसके तहत उसने खुद कुछ भौतिक लाभ प्राप्त किए हैं।

10. दूसरे शब्दों में, पारिवारिक समझौते के बाध्यकारी प्रभाव और अनिवार्यताओं को ठोस रूप में रखने के लिए, मामले को निम्नलिखित प्रस्तावों के रूप में घटाया जा सकता हैः " (1) XXX

XXX

(4) यह अच्छी तरह से तय है कि पंजीकरण केवल तभी आवश्यक होगा जब

पारिवारिक व्यवस्था की शर्तों को लिखित रूप में कम कर दिया जाता है। यहाँ भी, पारिवारिक व्यवस्था की शर्तों और पाठों वाले दस्तावेज़ के बीच अंतर किया जाना चाहिए।

दस्तावेज़ के तहत बनाया गया और केवल एक ज्ञापन तैयार किया गया

रिकॉर्ड के उद्देश्य से या आवश्यक उत्परिवर्तन करने के लिए अदालत की जानकारी के लिए पारिवारिक व्यवस्था पहले ही की जा चुकी थी। ऐसे मामले में ज्ञापन स्वयं करता है अचल संपत्तियों में किसी भी अधिकार का सृजन या उन्मूलन नहीं करना और इसलिए यह पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 (2) की शरारत के दायरे में नहीं आता है और इसलिए अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य नहीं है।

(5) सदस्य जो पारिवारिक व्यवस्था के पक्षकार हो सकते हैं कुछ पूर्ववर्ती स्वामित्व, दावा या हित होना चाहिए, यहां तक कि संपत्ति में एक संभावित दावा भी होना चाहिए जिसे समझौते के पक्षकारों द्वारा स्वीकार किया जाता है। भले ही समझौते के पक्षों में से एक का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन व्यवस्था के तहत दूसरा पक्ष ऐसे व्यक्ति के पक्ष में अपने सभी दावों या खिताबों को छोड़ देता है और उसे एकमात्र मालिक के रूप में स्वीकार करता है, तो पूर्ववर्ती स्वामित्व को माना जाना चाहिए और पारिवारिक व्यवस्था को बरकरार रखा जाएगा और अदालतें कोई अधिकार नहीं पाएंगी।

उसी को सहमति देने में कठिनाई;

(6) भले ही वास्तविक या संभावित विवाद, जिनमें कानूनी दावे शामिल नहीं हो सकते हैं, एक प्रामाणिक पारिवारिक व्यवस्था द्वारा निपटाए जाते हैं।

जो उचित और न्यायसंगत है परिवार की व्यवस्था अंतिम है और

समझौते के लिए पक्षों पर बाध्यकारी।

11. उक्त निर्णय हाल ही में रविंदर कौर ग्रेवाल और अन्य बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए एक मामले में विचार के लिए आया है। मंजीत कौर

और अन्य 2. यह कहा जा सकता है कि यह समझौता डिक्री का मामला नहीं था, बल्कि एक पारिवारिक समझौते का मामला था, जिसे घोषणा के लिए एक मुकदमे में लागू करने की मांग की गई थी क्योंकि समझौते के पक्षों में से एक इसे वापस लेना चाहता था। इस तरह के पारिवारिक निपटान को पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 की उप-धारा 2 के खंड (v) के अनुसार एक दस्तावेज माना गया था।

12. एक पीड़ित व्यक्ति परिवार के प्रवर्तन की मांग कर सकता है।

घोषणा के लिए एक मुकदमे में निपटान जिसमें परिवार के सदस्यों को संपत्ति में अधिकार या संपत्ति में किसी भी पूर्व-मौजूदा अधिकार की कुछ झलक है। परिवार के सदस्य दीवानी न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान भी समझौता कर सकते हैं। इस तरह

2 (2020) 9 एस. सी. सी. 706 रिपुदमन सिंह बनाम।

समझौता परिवार के सदस्यों के लिए बाध्यकारी होगा। यदि किसी दस्तावेज़ को लागू करने की मांग की जाती है जिसे डिक्री द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, तो पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 की उप-धारा 2 के खंड (v) का प्रावधान लागू होगा। हालाँकि, जहाँ आदेश दिया गया है पारिवारिक संपत्ति के संबंध में पारित, पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 की उप-धारा 2 का खंड (vi) लागू होगा। यह सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि पारिवारिक समझौता केवल उन अधिकारों की घोषणा करता है जो पहले से ही पक्षों के पास हैं।

13. इस सवाल के संबंध में कि क्या डिक्री में पंजीकरण की आवश्यकता है

या नहीं, यह न्यायालय भूप सिंह बनाम में। राम सिंह मेजर और अन्य 3 ने अभिनिर्धारित किया कि Rs.100/- या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति में नया अधिकार, स्वामित्व या ब्याज बनाने वाली समझौता डिक्री सहित डिक्री या आदेश पंजीकरण के लिए अनिवार्य है। यह कोई पूर्व-विद्यमान अधिकार नहीं था, बल्कि वह अधिकार था जो केवल डिक्री द्वारा बनाया गया था। इस अदालत ने दोनों स्थितियों को समझाया, जहां एक हिस्से का पहले से अधिकार है और जहां ऐसा कोई अधिकार मौजूद नहीं है। यह निम्नानुसार देखा गयाः

" 13. दूसरे शब्दों में, अदालत को यह जांच करनी चाहिए कि क्या कोई दस्तावेज है

वर्तमान निधन के अयोग्य और बिना शर्त शब्द दर्ज किए गए हैं

संपत्ति में अधिकार और हित और आवश्यक शामिल

किसी के अधिकारों को समाप्त करता है और अधिकार, उपाधि या अधिकार प्रदान करने का प्रयास करता है। अचल संपत्ति के संबंध में दूसरे के पक्ष में ब्याज

Rs.100 और ऊपर के मूल्य की संपत्ति, दस्तावेज़ या

अभिलेख या समझौता ज्ञापन अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाएगा।

XX

X

X

XX

16. हमें खंड (vi) की पहुंच को देखना होगा, जो एक अपवाद है।

उप-धारा (1) तक, उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए। हम करेंगे।

सोचिए कि उत्कीर्ण अपवाद उस डिक्री को कवर करने के लिए है

या न्यायालय का आदेश, जिसमें एक डिक्री या आदेश शामिल है जिसे व्यक्त किया गया है

एक समझौते पर किया गया, जो पहले से मौजूद अधिकार की घोषणा करता है और

अपने आप में नया अधिकार, उपाधि या रुचि नहीं बनाता है

रुपये मूल्य की अचल संपत्ति। 100 या ऊपर। कोई भी।

अन्य दृष्टिकोण पंजीकरण से बचने की शरारत पाएगा,

जिसके लिए स्टाम्प शुल्क के भुगतान की आवश्यकता होती है, जो डिक्री में अंतर्निहित है या आदेश दें।

XX

XX

X

X

18. उपखंड (vi) के तहत कानूनी स्थिति को उपरोक्त चर्चा के आधार पर नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता हैः (1) समझौता डिक्री की आवश्यकता नहीं होगी यदि प्रामाणिक रूप से, इस अर्थ में कि समझौता स्टाम्प शुल्क के भुगतान को रोकने और पंजीकरण से संबंधित कानून को विफल करने का साधन नहीं है

पंजीकरण। इसके विपरीत स्थिति में, इसके लिए पंजीकरण की आवश्यकता होगी।

(2) यदि समझौता आदेश पहली बार बनाया जाना था मुकदमे के किसी भी पक्ष के पक्ष में 100 रुपये या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व या ब्याज के लिए डिक्री या आदेश के लिए पंजीकरण की आवश्यकता होगी।

(4) यदि डिक्री में समझौते की शर्तों को शामिल नहीं किया गया था, जैसा कि लाहौर मामले में स्थिति थी, तो समझौते की शर्तों से लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है, भले ही किसी मुकदमे का निपटान प्रश्नगत समझौते के कारण किया जाना हो। (5) यदि डिक्री द्वारा व्यवहार की गई संपत्ति "वाद या कार्यवाही की विषय वस्तु" नहीं है, तो उप-धारा (2) का खंड (vi) इस खंड के संशोधन के कारण संचालित नहीं होगा।

1929 का अधिनियम 21, जिसका उद्गम प्रिवी काउंसिल के उपरोक्त निर्णय में है, जिसके अनुसार मूल खंड को आकर्षित किया गया होगा, भले ही वह ऐसी संपत्ति को शामिल करता हो जो मुकदमेबाजी में न हो।

19. अब, आइए देखें कि क्या 1973 के वाद संख्या 215 में पारित डिक्री के बल पर, याचिकाकर्ता डिक्री पंजीकृत नहीं होने के बावजूद, वर्तमान वाद में अपने लिखित बयान में दिए गए अपने मामले को कायम रख सकता है। हमारे अनुसार, यह दो के लिए नहीं हो सकता है।

कारणः

(1) पहली बार वादी में अधिकार या अधिकार बनाने के लिए कथित डिक्री जो पहले से मौजूद अधिकार की घोषणा नहीं है, के लिए पंजीकरण की आवश्यकता थी। यह भी बताया जा सकता है कि पहले मुकदमे को वास्तव में समझौते के आधार पर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मुकदमे का फैसला प्रतिवादी द्वारा दायर लिखित बयान को ध्यान में रखते हुए किया गया था, जिसमें प्रतिवादी ने रिपुदमन सिंह बनाम के दावे को स्वीकार किया था।

टिक्का महेश्वर चंद

वादी का सही होना "। ऐसी स्थिति में मुक़दमे का आदेश है

आदेश 12 नियम 6 द्वारा कवर किया गया है, न कि आदेश 23 नियम 3 द्वारा, जो मुक़दमे के समझौते से संबंधित है, जबकि पूर्व विषय पर है

प्रवेश पर निर्णय।

(2) XXX

XXX

14. के. रघुनाथन और अन्य बनाम। अली हुसैन साबिर और

मार्ग पर दो पड़ोसी। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इस तरह के आदेश की आवश्यकता होगी पंजीकरण।

" उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक क़ानून का अर्थ लगाया जाना चाहिए और

उसका उद्देश्य। अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (1) दस्तावेजों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाती है। अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) में केवल खंड (बी) और (सी) के अनुप्रयोग शामिल नहीं हैं, न कि धारा 17 की उप-धारा (1) के खंड (ई)। यदि समझौता डिक्री द्वारा कोई अधिकार बनाया जाता है या समाप्त हो जाता है, तो इसे अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाना चाहिए यदि समझौता डिक्री में अचल संपत्ति शामिल है जो मुकदमे या कार्यवाही का विषय नहीं था। खंड (vi) अपवाद के लिए एक अपवाद है। यदि अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2) के खंड (vi) का अंतिम भाग लागू होता है, तो इसका पहला भाग लागू नहीं होगा। जैसा कि इस मामले में न केवल मार्ग और मार्ग पर पक्षों के स्वामित्व के संबंध में विवाद मौजूद है, बल्कि स्वयं, इसका हिस्सा नहीं मिला है

समझौता, हम विवादित फैसले में कोई कमजोरी नहीं पाते हैं।

15. भूप सिंह और के. के मामले में इस न्यायालय के निर्णय।

रघुनाथन को फूल पट्टी और अनदर वी में बताए गए एक आदेश में असंगत पाया गया। राम सिंह (मृत) एलआरएस के माध्यम से। और अन्य और इस प्रकार मामले को एक बड़ी पीठ को भेजा गया था। फैसले में बड़ी पीठ ने फूल पट्टी और एक अन्य बनाम के रूप में रिपोर्ट की। राम सिंह (मृत) एलआरएस के माध्यम से। और एक अन्य ने दोनों निर्णयों के बीच विसंगतियां नहीं पाईं।

16. भूप सिंह दोनों स्थितियों से निपटने वाला मामला था।

उन पक्षों के बीच डिक्री जहां डिक्री धारक का संपत्ति में कोई पूर्व-विद्यमान अधिकार नहीं है और ऐसी स्थिति भी जहां डिक्री धारक के पास एक पूर्व-विद्यमान अधिकार है। यह दूसरी स्थिति थी जब डिक्री धारक का संपत्ति में पहले से अधिकार था, यह पाया गया कि

4 (2008) 13 एस. सी. सी 102

5 (2009) 13 एससीसी 22

डिक्री के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। के. रघुनाथन के मामले में, विवाद परिवार के सदस्यों के बीच नहीं था, बल्कि पड़ोसियों के बीच मार्ग के अधिकार को लेकर था। जाहिर है, उनमें से किसी का भी अचल संपत्ति पर कोई पूर्व अधिकार नहीं था।

17. भूप सिंह के मामले में कानून के प्रतिपादन को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय के फैसले और डिक्री में कहा गया है कि

अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता कानून में गलत है। समझौता दोनों भाइयों के बीच उनके पिता की मृत्यु के परिणामस्वरूप हुआ था और पहली बार प्रेसेंटी में कोई अधिकार नहीं बनाया जा रहा था, इस प्रकार अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता नहीं थी। नतीजतन, अपील की अनुमति दी जाती है और वाद का फैसला किया जाता है।

देविका गुजराल

अपील की अनुमति दी गई।